दूरभाष:26175176
फैक्सः 26162093
E-mail: ddhts-exam-dol@nic.in

संख्या-30/3/2020-उ.नि.(परीक्षा)/ 1044

भारत सरकार
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
हिंदी शिक्षण योजना
उप निदेशक (परीक्षा) का कार्यालय

पूर्वी खंड-7, तल-6, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली-110066
दिनांकः 28 SEP 2021

सेवा में,

निदेशक/संयुक्त निदेशक/सभी उप निदेशक/सर्वकार्यभारी अधिकारी,
हिंदी शिक्षण योजना/पत्राचार पाठ्यक्रम स्कंध, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

विषयः- जुलाई, 2021 सत्र की स्थगित की गई हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण परीक्षाओं के अक्तूबर, 2021 में आयोजन की समय सारणी ।

महोदय/महोदया,

राजभाषा विभाग के अंतर्गत आयोजित होने वाली हिंदी शब्द संसाधन /टंकण परीक्षाएँ परीक्षा स्कंध द्वारा प्रति वर्ष जुलाई माह के दूसरे/तीसरे सप्ताह में आयोजित की जाती हैं । इन परीक्षाओं के आयोजन के लिए अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाते हैं। कोविड-19 के प्रकोपजन्य स्थितियों में इस कार्यालय की ओर से जारी पत्र सं. 30/3/2018-उ.नि.(परीक्षा)/842 दिनांक 08 जुलाई, 2021 के अनुसार इन सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था ।

जुलाई, 2021 की स्थगित की गई हिंदी शब्द संसाधन/टंकण प्रशिक्षण परीक्षाओं के संबंध में सूचित करना है कि **निदेशक,केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की ओर से जारी निदेशानुसार जुलाई, 2021 माह में फरवरी-जुलाई, 2021 सत्र की एक केंद्र पर विशेष परीक्षाओं के बैच I-IV तक परीक्षाएँ की जा चुकी हैं । बैच V से XIV तक परीक्षाओं का आयोजन अक्तूबर, 2021 माह में निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा ।** हिंदी टंकण पूरक-I परीक्षा के परीक्षार्थी बैच V से बैच XIV में ही समायोजित किए जाएंगें ।:-

अक्तूबर, 2021 माह में आयोजित की जाने वाली हिंदी शब्द संसाधन/ टंकण परीक्षाओं की समय-सारणी

परीक्षा की तारीख	दिन	बैच	समय
25.10.2021	सोमवार	V	प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक
25.10.2021	सोमवार	VI	सायं 02.00 से 04.00 बजे तक
26.10.2021	मंगलवार	VII	प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक
26.10.2021	मंगलवार	VIII	सायं 02.00 से 04.00 बजे तक
27.10.2021	बुधवार	IX	प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक
27.10.2021	बुधवार	X	सायं 02.00 से 04.00 बजे तक
28.10.2021	बृहस्पतिवार	XI	प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक
28.10.2021	बृहस्पतिवार	XII	सायं 02.00 से 04.00 बजे तक
29.10.2021	शुक्रवार	XIII	प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक
29.10.2021	शुक्रवार	XIV	सायं 02.00 से 04.00 बजे तक
01.11.2021	सोमवार	पूरक-II	परीक्षार्थियों की संख्या अनुसार

अक्तूबर, 2021 माह में आयोजित की जाने वाली जुलाई, 2021 की हिंदी शब्द संसाधन /टंकण परीक्षा के संबंध में सूचित करना है कि राजभाषा विभाग के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने एवं उसकी मॉनीटरिंग को चुस्त बनाने के लिए 'हिंदी भाषा/ हिंदी शब्द संसाधन/टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रणाली के अंतर्गत सभी क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक/क्षेत्रीय उप निदेशक परीक्षा संबंधी सभी कार्यों हेतु परीक्षा स्कंध, हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली की ओर से पूर्व में जारी समय-सारणी के संबंध में पत्र संख्या-30/3/2020-उ.नि.(परीक्षा)/311-411 दिनांक 01.03.2021 के क्रम में निम्नवत् कार्रवाई सुनिश्चित् करेंगें -

1.सहायक निदेशक द्वारा केंद्र अधीक्षक का विवरण प्रणाली के माध्यम से भरकर क्षेत्रीय उप निदेशक/ उपनिदेशक (टंकण/आशु.)/पत्राचार द्वारा संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक(परीक्षा) को दिनांक 05.10.2021 तक अग्रेषित किए जाएं । केंद्र अधीक्षकों के विवरण सहित केंद्रों की सूची ईमेल द्वारा भी भिजवाना सुनिश्चित् करें ताकि परीक्षा संबंधी आगामी कार्रवाई में केंद्र अधीक्षक का नियुक्ति-पत्र, प्रश्न-पत्र एवं परीक्षा सामग्री सभी संबंधितों को यथासमय भिजवाई जा सके ।

2.प्रणाली के अंतर्गत संकाय सदस्यों/सहायक निदेशकों द्वारा केंद्र अधीक्षक संबंधी पूर्ण जानकारी भरी जाएगी । इसके अंतर्गत केंद्र अधीक्षक का नाम, पदनाम, ई-मेल आईडी, मोबाईल नं., कार्यालय का फोन नं.,कार्यालय का पूरा पता तथा परीक्षा केंद्र का पूरा पता आदि देना अनिवार्य है। संकाय सदस्य/सहायक निदेशक यह सुनिश्चित करें कि **केंद्र अधीक्षक राजपत्रित अधिकारी हों, उसी शहर में कार्यरत हों** तथा परीक्षा के दिनों में उनके स्थानांतरण/अवकाश पर जाने की संभावना न हो। उपक्रमों/निगमों के अधिकारियों को भी परीक्षा केंद्र अधीक्षक बनाया जा सकता है जो कि राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष हों ।

क्षेत्रीय कार्यालयों का पता एवं ई मेल आई.डी. निम्नवत है:-

(1) संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (मध्योत्तर) ddhts-nc-dol@nic.in & उपनिदेशक(टंकण/आशुलिपि) chti1041@nic.in हिंदी शिक्षण योजना, पूर्वी खंड-7, तल-6, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066	दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल तथा जम्मू कश्मी, लद्दाख, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए ।
(2) संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक (दक्षिण) हिंदी शिक्षण योजना, ई-3, सी ब्लॉक, राजाजी भवन, बेसन्ट नगर, चेन्नै-600090 ddhts-south-dol@nic.in	तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना तथा पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए ।
(3) संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (पूर्व) हिंदी शिक्षण योजना, 18वां तल, निजाम पैलेस परिसर, 234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता-700020 ddhts-east-dol@nic.in	पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, अंडमान-निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए ।
(4) संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (पश्चिम) हिंदी शिक्षण योजना, केंद्रीय सदन, सी. विंग, छठा माला, सी.बी.डी., बेलापुर, नवीं मुंबई-400614 ddhts-west-dol@nic.in	महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, दमण दीव, दादर नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए ।

(5) संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (पूर्वोत्तर)
हिंदी शिक्षण योजना,
पू.सी.रेलवे मुख्यालय,
मालीगांव, गुवाहाटी-II (असम)
ddhts-ne-dol@nic.in

असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा राज्यों में स्थित कार्यालयों के लिए ।

(6). संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक
(टंकण पत्राचार स्कंध)
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
2-ए, पृथ्वीराज रोड,
नई दिल्ली - 110011
chti1047@nic.in

अखिल भारतीय स्तर पर

3. नियमानुसार परीक्षार्थी के परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 25-25 अथवा उस से अधिक अंक होना अनिवार्य है । प्रश्न-पत्र द्वितीय (गति परीक्षा) में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 30 श.प्र.मि.(9000KDPH) की गति होगी। किसी एक प्रश्न पत्र में 25 से कम अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को पूरक घोषित किया जाएगा ।

4. नवम्बर, 2020 तथा जनवरी, 2021 माह में आयोजित हिंदी शब्द संसाधन/टंकण परीक्षा के किसी एक प्रश्न-पत्र में अनुत्तीर्ण प्रशिक्षार्थी को अक्तूबर, 2021 माह की पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रणाली में पुन: विवरण अपलोड नहीं करना होगा । पूर्व जारी पंजीकरण के आधार पर ही उसे परीक्षा देनी होगी ।

5. नवम्बर, 2020 तथा जनवरी, 2021 माह की परीक्षा में पूरक घोषित हुए जो परीक्षार्थी अक्तूबर, 2021 माह की पूरक परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे, उन्हें बाद में प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में दोनों प्रश्न-पत्रों की परीक्षा देनी होगी।

6. परीक्षा स्कंध द्वारा प्रणाली में प्रवेश पत्र स्वीकृत करने के पश्चात् सभी संकाय सदस्य यथा समय प्रणाली से परीक्षा प्रवेश-पत्रों का प्रिंट लेकर सभी संबंधित परीक्षार्थियों को उपलब्ध करवा सकते हैं। पूरक परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र क्षेत्रीय उपनिदेशक प्रिन्ट कर संबंधित परीक्षार्थियों को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें ।

7. संकाय सदस्यों/सहायक निदेशकों द्वारा प्रणाली के अंतर्गत प्रशिक्षार्थियों के परीक्षा शुल्क का विवरण भरने के पश्चात् तथा संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (परीक्षा) द्वारा स्वीकृति के पश्चात् ही परीक्षा प्रवेश पत्र जारी किए जा सकेंगे । परीक्षा शुल्क के लिए बैंक ड्रॉफ्ट उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के नाम देय होगा । केंद्रीय सरकार के कार्मिकों के लिए हिंदी शब्द संसाधन टंकण/आशुलिपि परीक्षाओं के लिए कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं है । भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों/निकायों आदि के सभी कार्मिकों के लिए रु.100/- परीक्षा शुल्क देय है।

8 .भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/ राष्ट्रीयकृत बैंकों/निकायों आदि के पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क के रूप में 10 रुपए का बैंक ड्राफ्ट**'उप निदेशक(परीक्षा),हिंदी शिक्षण योजना,नई दिल्ली'** के पक्ष में भेजना होगा, जिसका विवरण प्रणाली में अपलोड होने के पश्चात् ही उसका परीक्षा प्रवेश पत्र जारी होगा ।

...4/..

<u>परीक्षा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक की website www.onlinesbi.comपर निम्नलिखित स्टैप्स अपनाते हुए ऑनलाइन भी जमा करवाया जा सकता है ।</u>

ऑनलाइन फीस जमा करने के स्टैप्स:-

1. सबसे पहले State Bank of India की **website www.onlinesbi.com**में **State Bank Collect** नामक उपशीर्षक पर जाएँ। State Bank of India की **website www.onlinesbi.com**पर मुख्य शीर्षक State Bank of India पर क्लिक करने पर **State Bank Collect** नामक उपशीर्षक पर क्लिक करें एवं सभी शर्तों को स्वीकार करते हुए **Proceed** करें।

2.**State Bank Collect**पेज पर **State of Corporate/Institution** में **All India** Select करें तत्पश्चात् **Type of Corporate/Institution** में **Govt. Department** Select करें एवं **GO** को **क्लिक** करें ।

3.**Department Name** में **HINDI TEACHING SCHEME, Deptt.OF OFFICIAL LANGUAGE MHA** को **SUBMIT** करें ।

4. **Select Payment Category** में **Hindi Teaching Scheme Select** करें । **Select** करते ही एक फार्म खुल जाएगा ।

5. इस फार्म को भरने के पश्चात **Submit**करें । **Submit** करने के बाद अपने भरे हुए विवरण को **Confirm** कर **Payment** करें ।

6. Payment करने के बाद Receipt के प्रिंट की फोटोप्रति उप निदेशक (परीक्षा),हिंदी शिक्षण योजना, पूर्वी खंड-7, तल-6 रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 को भेजें।

(ऑनलाइन द्वारा भुगतान की गईराशि की पावती रसीद संयुक्त निदेशक/उप निदेशक(परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली कार्यालय में भेजना अनिवार्य है।

9. कृपया सभी क्षेत्रीय उप निदेशक/सर्वकार्यभारी अधिकारी परीक्षाओं के संचालन हेतु परीक्षा भवन का किराया (जहाँ परीक्षा भवन किराए पर लेने की आवश्यकता हो) पारिश्रमिक राशि तथा फुटकर खर्चआदि के लिए **अग्रिम राशि की प्राप्ति हेतु प्रस्तावित केंद्र अधीक्षक के बैंक खाता संख्या,IFSCCODE, Bank का नाम** आदि विवरण सहित अग्रिम मांग पत्र भी इस कार्यालय को अवश्य भेज दें ।

10. परीक्षा से संबंधित बिलों का भुगतान केवल केंद्र अधीक्षक के बैंक खाते में ई पेमेंट द्वारा ही किया जाएगा । अत: बिल के साथ केंद्र अधीक्षक के बैंक खाते का विवरण बैंक / शाखा का नाम, खाता संख्या, आई एफ एस सी कोड (IFSC CODE NO) मोबाईल नंबर तथा ई मेल आई डी अनिवार्य रूप से संलग्न कर भेजें ताकि भारत सरकार द्वारा निर्धारित भुगतान प्रक्रिया का पालन हो सके । सुगमता को देखते हुए कैंसिल चैक की एक फोटो प्रति भी भेजी जाए ।

भवदीया

28/9/2021

(डॉ.शोभा रानी)
संयुक्त निदेशक(परीक्षा)
chti1110